मान्नीय न्यायालय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर

निगरानी एल. आर. संख्या 3587/2011 जिला अजमेर

1. श्रीमती झूमी पत्नि स्व. श्री प्रताप
2. श्री मदन पुत्र स्व. श्री प्रताप

जाति भांबी, निवासी गण ग्राम माकड़वाली, तहसील व जिला अजमेर।

3. श्रीमती प्रेम पुत्री स्व. श्री प्रताप पत्नि श्री किशन सिंह, जाति भांबी, हाल निवासी ग्राम लोहागल, तहसील व जिला अजमेर।
4. श्रीमती माया पुत्र स्व. श्री प्रताप पत्नि श्री रामकरण, जाति भांबी, निवासी ग्राम देवनगर, उपतहसील पुष्कर, जिला अजमेर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री गोगाराम पुत्र श्री हजारी, जाति भांबी, निवासी ग्राम माकड़वाली, तहसील व जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अजमेर।

अप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 84 सपठित धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 05.11.2009 क्रमांक/भू.ए./नामा/09/7480 विद्वान तहसीलदार (भू.अभि.), अजमेर

मान्यवर,

प्रार्थीगण मान्नीय न्यायालय से निम्न निवेदन करते है:–

1. केस के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम माकड़वाली अवस्थित खाता संख्या 585 खसरा नं. 388, 2636, 2968 मिन, 2971, 3061, 3062, 3064 एवं 3069 की कृषि भूमियों बाबत प्रार्थीगण के स्वर्गीय पति एवं पिता श्री प्रताप वल्द मांदु, जाति भांबी के नाम अंकित विरासत नामान्तकरण संख्या 37 दिनांक 07.05.1988 के विरूद्ध बिना किसी हक, अधिकार व आधिपत्य के निरस्त किये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 14.09.2009 को अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि उक्त विरासत नामान्तकरण राजस्व एवं भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों द्वारा अनुचित लाभ पहुंचाने की बदनीती पूर्वक अंकित किया गया है। जिसे हटाये जाने के आदेश प्रदान करावे। जिस प्रार्थना पत्र दिनांक 14.09.2009 के आधार पर एक पक्षिय रूप से तहसीलदार, अजमेर द्वारा पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक से रिकार्ड एवं मौके की जांच करवाये जाने के उपरान्त प्रार्थीगण के स्वर्गीय पति

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
19-8-2011	एकलपीठ श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य उपस्थितः- श्री एन.एस. राजावत, अभिभाषक प्रार्थी आदेश यह निगरानी अंतर्गत धारा 84 सपठित धारा 9 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार अजमेर दिनांक 5.11.09 पेश की गई है । निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं.1 गोगाराम द्वारा ग्राम माकड़वाली अवस्थित खाता सं. 585 खं.न. 388, 2636 मिन, 2971,3061, 3062, 3064 एंव 3069 की कृषि भूमियों बाबत् प्रार्थीगण के स्वर्गीय पति एंव पिता श्री प्रताप वल्द मांदु; जाति भांबी के नाम अंकित विरासत नामांतरकरण संख्या 37 दिनांक 7.5.88 के विरूद्ध बिना किसी हक , अधिकार व आधिपत्य के निरस्त किये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 14.9.09 को अप्रार्थी संख्या-2 सरकार के समक्ष इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि उक्त विरासत नामांतरकरण राजस्व एंव भू प्रबंध विभाग के कर्मचारियों द्वारा अनुचित लाभ पहुंचाने की बदनियती पूर्वक अंकित किया गया है, जिसे हटाया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार अजमेर द्वारा पटवारी हल्का एंव भू अभिलेख निरीक्षक से रिकार्ड एवं मौके की जांच कराये जाने के उपरांत प्रार्थीगण के स्वर्गीय पति एंव पिता श्री प्रताप वल्द मांदु, जाति भांबी के नाम अंकित विरासत नामांतरकरण सं. 37 दिनांक 7.5.88 को राजस्व रिकार्ड से हटाये जाने के आदेश तहसीलदार अजमेर द्वारा दिनांक 5.11.09 को जारी कर दिये गये। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि तहसीलदार अजमेर द्वारा पारित आदेश की दिनांक से छः वर्ष पूर्व रिकोर्डेड खातेदार प्रताप का देहांत हो चुका था। जिसकी पुष्टि पटवारी की रिपोर्ट से होती है। अतः तहसीलदार अजमेर द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों की विधिवत जानकारी होते हुये भी मृत व्यक्ति के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

विरूद्ध आदेश पारित किया गया है जो विधिक प्रावधानों के तहत प्रारमभतः अवैद्य एंव शून्य होने से काबिल निरस्तनीय है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे।

हमने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया।

हमारा मत है कि तहसीलदार अजमेर द्वारा जारी किया गया आदेश दिनांक 5.11.09 एक अपील योग्य आदेश है जिसकी प्रथम अपील सक्षम न्यायालय में अंतर्गत धारा 75 राज0 भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत की जानी चाहिये थी, किंतु प्रार्थी ने सीधे ही तहसीलदार अजमेर के आदेश के विरूद्ध मंडल न्यायालय में निगरानी पेश कर दी और विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दौराने बहस ऐसा कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया कि अपील का अवसर उपलब्ध होते हुये भी प्रार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील न कर मंडल में निगरानी क्यों पेश की गई है। प्रकरण के तथ्यों तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी पक्ष के तर्को के गुणावगुण पर विचार किये बिना हमारा निष्कर्ष है कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 5.11.09 के विरूद्ध धारा 75 राज़0 भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के स्थान पर सीधे ही राजस्व मंडल में धारा 84 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश की गई निगरानी चलने योग्य नहीं होने के कारण एडमीशन स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह निगरानी एडमीशन स्तर पर ही खारिज की जाती है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/8/11

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य

Noted
24/8/11